रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2000/कार्तिक 3, 1922

No. 548] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2000/KARTIKA 3, 1922

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000

सा. का. नि. 838(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक की अर्हताओं, अनुभव और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (नियंत्रक की सेवा शर्तें) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "नियंत्रक" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम के अधीन शक्तियां और दायित्व निहित हैं।

3. शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव : कोई व्यक्ति नियंत्रक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित न हो :–

(i) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि और 20 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव सूचना प्रौद्योगिकी या संबद्ध सेक्टरों में ज्येष्ठ प्रबंधन स्तरों पर होना चाहिए ; या

(ii) विज्ञान/इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि और 18 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव सूचना प्रौद्योगिकी या संबद्ध सेक्टरों में ज्येष्ठ प्रबंधन स्तरों पर होना चाहिए ; या

(iii) विज्ञान और इंजीनियरी संबद्ध सेक्टरों में डाक्टर की उपाधि या समतुल्य और 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव सूचना प्रौद्योगिकी या संबद्ध सेक्टरों में ज्येष्ठ प्रबंधन स्तरों पर होना चाहिए ; या

(iv) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित, प्रबंधन उपाधि (एम0बी0ए0) और 18 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव सूचना प्रौद्योगिकी या संबद्ध सेक्टरों में ज्येष्ठ प्रबंधन स्तरों पर होना चाहिए ।

4. पदावधि और नियंत्रक की सेवा शर्तें—नियंत्रक 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु कोई भी व्यक्ति, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, पद धारण नहीं करेगा ।

5. वेतन और भत्ते—नियंत्रक ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं जिसके अन्तर्गत वे सभी फायदे भी हैं जिनके लिए सचिव हकदार है :

परंतु ऐसे नियंत्रक का वेतन और भत्ता, पेंशन की सकल राशि और उपदान के समतुल्य पेंशन या नियोजक के अभिदायी भविष्य निधि में अभिदान या उसके द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों में से घटा दिया जाएगा ।

6. शिथिल करने की शक्ति—केंद्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों में से किसी नियम के किसी भी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[सं. 1(20)/97-आई.आई.डी. (एन.आई.आई.)/एफ 6]

पी. एम. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2000

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the qualifications, experience and other terms and condition of service of the Controller, namely—

1. **Short title and commencement.**_(1) These rules may be called the Information Technology (Conditions of Service of the Controller) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**_ In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Information Technology Act, 2000. (21 of 2000);

(b) "Controller" means the Controller of Certifying Authorities appointed under sub-section (I) of section 17 vested with powers and responsibilities under the Act.

3. **Educational qualifications and experience.**- No person shall be appointed as a Controller unless he has-

(i) Bachelor's Degree in Engineering/Technology and 20 years' experience out of which 5 years should be at senior management levels in Information Technology (IT) or related sectors.

or

(ii) Master's Degree in Science/Engineering/Technology and 18 years' experience out of which 5 years should be at senior management levels in Information Technology (IT) or related sectors;

or

(iii) Doctorate in Science/Engineering related sectors or equivalent and 15 years' experience out of which 5 years should be at senior management levels in Information Technology (IT) or related sectors;

or

(iv) Management Degree (MBA) with Bachelor's Degree in Engineering/Technology or Bachelor's Degree in Science and 18 years' experience out of which 5 years should be at senior management levels in Information Technology (IT) or related sectors.

4. **Terms and conditions of service of the Controller.**- The Controller shall hold office for a period of 3 years, but shall be eligible for reappointment:

Provided that no person shall hold office beyond the age of 65 years.

5. **Pay and allowances.**- The Controller shall receive pay and allowances as admissible to a Secretary to the Government of India including all the benefits that a Secretary is entitled to:

Provided that the pay and allowances of such a Controller shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

6. **Power to relax.**-The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules with respect to any class or category of persons.

[No. 1(20)/97-IID(NII)/F6]

P. M. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.